



स्त्री-उत्थान एवं कल्याण के परिप्रेक्ष्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिंतन एवं हिन्दू कोड बिल

गौतम कुमार

शोध-प्रज्ञ, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

डॉ. मो० शकील अख्तर

सहायक प्राचार्य, इतिहास विभाग, मारवाड़ी महाविद्यालय, दरभंगा
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

शोध-सारांश :

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संभवतः पहले ऐसे भारतीय सामाजिक चिंतक हुए, जिन्होंने महिलाओं की समस्या को लैंगिक दृष्टिकोण से समझने की कोषिष की। उनका पूरा जीवन भारतीय समाज के रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर ही विकेंद्रित रहा। उनके भारतीय स्त्रीवादी दृष्टिकोण की वैचारिकी का केन्द्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ ही थीं, जो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही है। उनका मानना था कि पुरुषवादी विचार व चिंतन ने आधे मानव जाति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में केवल बाधा ही नहीं बल्कि उन वंचित-शोषित मानव की प्रतिभा को कुंठित भी किया है। उन्होंने अस्थायी संसद में हिन्दू कोड बिल पास कराने की भरपूर कोषिष की। यह बिल आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण कानून था। इस बिल का उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार देना था। परन्तु कट्टरपंथी नेताओं के विरोध के कारण हिन्दू कोड बिल पास नहीं हो सका। इस बात से छुब्ध होकर 27 सितम्बर 1951 को केन्द्रीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक विचारों के साथ समाज का फिर से निर्माण करना है। उनकी सोच थी व्यवस्था इस तरह हो जो स्त्रियों को आगे ले जाये। वे मानते थे कि स्त्रियों को सशक्त किये बिना सामाजिक न्याय कायम नहीं हो सकता है।

मुख्य बिन्दु : लैंगिक दृष्टिकोण, पुरुषवादी चिंतन, कट्टरपंथी, लोकतांत्रिक, समानता, स्वतंत्रता।

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी अन्याय पूर्ण घटनाओं के विरुद्ध अपने संघर्ष के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक के रूप में चर्चित रहे हैं। तत्कालीन समाज के परम्परागत ब्राह्मण कानून के अन्तर्गत स्त्रियों को तलाक का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने पति के साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता था तथा उत्तराधिकार के अत्यंत कम अधिकारी थे। 1930 के दशक में महिलाओं की इस संसाधन विहीन दशा में सुधार के विषेयक तलाक और उत्तराधिकार के प्रश्न पर विधायी प्रयास होने लगे थे।¹ उन्होंने हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के महिलाओं की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और उनका मानना था कि जिस तरह बौद्ध धर्म में महिलाओं और पुरुषों को सम्मान का दर्जा मिला हुआ है उसी तरह भारतीय समाज में सभी वर्गों की महिलाओं को पुरुष के बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जाति, पंथ, लिंग और धर्म के बावजूद समानता की अवधारणा को शामिल करके सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया को महसूस किया।

महिलाओं की उन्नति हेतु 1918 ई० में उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने दलित जनता को मुक्त कराने तथा दलित वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 1920 के बाद से आंदोलन शुरू किया ताकि दलितों पर किसी प्रकार का अन्याय न हो सके। साथ ही दलित महिलाएँ अपने आप को भारतीय समाज में सशक्त समझ सकें। भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू सामाजिक आदेशों के विरुद्ध अपने गंभीर प्रचार में 1920 में 'मूकनायक' और 1927 में 'बहिष्कृत भारत' पत्रिका प्रकाशित की। 18 फरवरी 1927 को बंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने भारतीयों को इसमें भाग लेने की सलाह दी ताकि भारतीय जनमानस में महिलाओं के प्रति सम्मान देने की भावना उत्पन्न हो। अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन जो कि 1940 में नागपुर में हुआ जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं हो सकती और शिक्षा को महिला की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।

स्वतंत्रता के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि मैं भारतीय समुदाय की प्रकृति को स्त्रियों द्वारा प्राप्त की गई प्रकृति के रूप में देखता हूँ। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत की दलित महिलायें सफाई से रहना सीखें, सभी दोषों से मुक्त रहे और अपने बच्चों को शिक्षा दे ताकि भारतीय स्वरूप में कोई आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सके और आप भी भारतीय जनमानस में अपनी अमिट छाप छोड़ सकें। ताकि भविष्य देखेगा कि बिना स्त्री विकास के भारत राष्ट्र का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता। अम्बेडकर साहब का सपना था कि भारतीय समाज में यदि स्त्री का सम्मान होगा तभी भारतीय राष्ट्र अपने आप को अग्रसर के रास्ते पर ले जा सकता है।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत राष्ट्र की राजनीतिक शब्दावली और संविधान में महिलाओं के अधिकारों को संतोषजनक ढंग से सम्मिलित करने का प्रयास किया।²

भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने अस्थायी संसद में हिन्दू कोड बिल पास कराने की कोषिष की। यह बिल आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण कानून था। इस बिल का उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार देना था। उन्होंने बिल को संसद में पेश करते समय कहा था – “मैं इस सदन से केवल यही अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आप हिन्दू व्यवस्था, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है, वहाँ मरम्मत कीजिए। इस बिल का उद्देश्य हिन्दू धर्म के उन भागों की मरम्मत करना है जो टूट-फूट गए हैं।” अम्बेडकर साहब ने हिन्दू विधि को समेकित करने का जो प्रयास किया था, उसकी अनेक नेताओं ने सराहना की। दूसरी ओर कुछ नेताओं ने हिन्दू कोड बिल की आलोचना की और कहा कि इससे हिन्दू संस्कृति का भव्य भवन चटख जायेगा। अम्बेडकर अपनी ओर से पूरा प्रयास करने पर भी हिन्दू कोड बिल को पास कराने में सफल न हो सके। कहा जाता है कि अस्थायी संसद के कट्टरपंथी नेताओं ने जिनमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी सम्मिलित थे, बिल का विरोध किया। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने विधेयक को समाप्त करने का निश्चय किया। क्षुब्ध होकर अम्बेडकर ने 27 सितम्बर 1951 को केन्द्रीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया।³

बाद में हिन्दू कोड बिल को चार भागों में बांटा गया। ये भाग थे, हिन्दू विवाह अधिनियम-1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956, हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षिता अधिनियम-1956 तथा दत्तक ग्रहण और जीवन निर्वाह अधिनियम-1957। इन चार अधिनियमों में हिन्दू कोड बिल के मूल विचारों तथा सिद्धांतों का समावेश है। रूढ़िवादी हिन्दू विवाह को पवित्र बंधन की घोषणा करके इसका विरोध करते रहे थे। हिन्दू समाज की सच्ची नींव के रूप में विवाह को देखा गया। विवाह जन्म-जन्मांतर का रिश्ता माना गया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि विवाह विच्छेद अर्थात् ‘तलाक’ वर्षों से चले आ रहे हैं। यह हिन्दू समाज को ही नष्ट कर देगा। बिल का समर्थन कर रही महिलाओं पर अत्यधिक आक्रमण होने का आरोप मढ़ा गया और उन पर शानदार साड़ियों का उपयोग करने वाली और श्रृंगार प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के रूप में फट्टियाँ कसी गईं। लोग इतने उल-जलूल प्रश्न पूछने लगे कि लगा कि मर्दों को अब खाना बनाने के लिए बाध्य किया जायेगा।⁴

डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज में स्त्री-पुरुष के बीच की असमानता को लेकर काफी दुःखी थे। इस असमानता को बिना मिटाये ज्यों के त्यों रहने देना और आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाते जाना, भारतीय संविधान का उपहास करना और गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा है, ऐसा उनका मानना था। डॉ. अम्बेडकर का कहना था – मैं या तो हिन्दू कोड बिल पूरे भारत पर लागू करूँगा अथवा कहीं भी नहीं। हिन्दू कोड बिल भारतीय संविधान की अपेक्षा भारत के लिए सौ गुणा ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित नई विवाह प्रथा पश्चिम का अनुकरण नहीं है वरन् यह स्वतंत्रता, समानता

और बंधुत्व पर आधारित है जो संविधान में शामिल है। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि पुरातन पंथियों का 'पवित्र विवाह' पुरुष के लिए बहु पत्नी सुविधा और स्त्री के लिए चिरस्थायी दासता है।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में स्पष्ट रूप से चित्रित किया है कि महिलाएँ भी अपने अधिकारों का हक मांग सकती हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके साथ ही डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जो प्रावधान महिलाओं के उत्थान में सहायक हैं। विधि के विधान के रूप में संविधान महिलाओं के विकास में भूमिका निभाता आ रहा है और रहेगा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए पुरुष और महिला दोनों की सामाजिक स्थिति होना अनिवार्य शर्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास और पूजा की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की गारंटी देती है। इस प्रस्तावना में इस बात का भी उल्लेख है कि भारतीय जनमानस में महिला भी एक हिस्सा है जो संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप अपने आप को सम्मान और हर अवसर पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंत में जाति, पंथ या लिंग किसी भी भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में महिलाओं के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनों का योगदान भारतीय स्वरूप में अहम है। भारतीय समाज में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदानों को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन माना और विशेष रूप से स्त्रियों के शिक्षा को उनके विकास और विषमताओं को समाप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली स्रोत माना था।⁶ इसलिए भारत सरकार अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए मुफ्त किताबें, वर्दी, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, साइकिल और चिकित्सा जांच आदि की आपूर्ति की नीति अपना रही है। इस प्रकार जो सपना डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आजादी से पूर्व और उपरांत देखा था वह आज वर्तमान परिदृश्य में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस उपलब्धि से विधि वेत्ता की आत्मा अति संतुष्ट होगी।

निष्कर्ष :

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो, साथ ही स्त्रियों को पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्राप्त हों। चूँकि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत में लोकतंत्र तब आएगा जब भारत में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदार माना जाएगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिया जाएगा। उनका दृढ़ विष्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव है जब उन्हें

घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिले। भारतीय समाज में शिक्षा और आर्थिक उन्नति महिलाओं को सामाजिक बराबरी दिलाने में अहम मदद करेगी। उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा करने का प्रयास किया था। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तिकरण का होना आवश्यक है तभी समाज में महिलाओं का उत्थान हो सकता है।

संदर्भ :

- 1- गेल, ओमवेट (2000) : अम्बेडकर, प्रबुद्ध भारत की ओर, पेंगूइन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.-125
- 2- सिंह, ओम एवं अन्य (2021) : महिला उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लाने में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अजन्ता प्रकाशन, औरंगाबाद, पृ.-26
- 3- गुप्ता, डॉ. कमला (2012) : भारतीय नारी, प्रारम्भ से 2000 ई0 तक, जानकी प्रकाशन, पटना, पृ.-69
- 4- शरण, देवेन्द्र कुमार (2012) : नारी सशक्तिकरण का इतिहास, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृ.-186
- 5- अम्बेडकर, महेश (2002) : डॉ. भीमराव अम्बेडकर, नई दिल्ली, पृ.-117
- 6- सिंह, गोविंद (2007) : बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, नई दिल्ली, पृ.-104-105